अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 94 | श्री विजय पुरम, बुधवार, 08 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

द्वीपों में पहला एकीकृत वीओआईपी (वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) संचार प्रणाली सफलतापूर्वक शुरू

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने द्वीपसमूह में पहली एकीकृत वीओआईपी (वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) संचार प्रणाली सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। इस प्रणाली का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) द्वारा किया गया, जिसमें आयुक्त–सह–सचिव (आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास), वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित थे।

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य द्वीपसमूह के सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) को एकीकृत संचार नेटवर्क के अंतर्गत लाना है, ताकि आपात स्थितियों में तेज़ और अधिक विश्वसनीय समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पहली स्वतंत्र संचार परत की स्थापना को दर्शाती है, जो वर्तमान में 100 कनेक्शनों का समर्थन कर रही है।

मुख्य लाभ

- केंद्रीकृत घोषणा प्रणाली, जिससे एक साथ वॉइस संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं
- आपदा प्रतिक्रिया समय में कमी
- तीनों ज़िलों में एकीकृत संचार कनेक्टिविटी
- एकीकृत वॉइस मैसेजिंग प्रणाली
- कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्रबंधन प्रणाली
- प्रत्येक उपभोक्ता/स्थान की रीयल–टाइम निगरानी
- कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा (आवश्यकतानुसार सक्रिय की जा सकती है)
- अन्य नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टिविटी
- कोई आवर्ती व्यय नहीं

वर्तमान में यह प्रणाली तीनों ज़िलों के प्रमुख स्थानों को जोड़ती है, जिनमें डीसीआर (ज़िला नियंत्रण कक्ष), दक्षिण अण्डमान, डीसीआर निकोबार, डीसीआर मायाबंदर, ईओसी हटबे, ईओसी स्वराज द्वीप, ईओसी शहीद द्वीप, ईओसी फरारगंज तथा एसईओसी (राज्य आपात संचालन केन्द्र) शामिल हैं। इस नेटवर्क का विस्तार आगे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी आपातकालीन सहायता कार्यों (ईएसएफ) तक किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने तीनों ज़िलों के सात नियंत्रण कक्षों को जोड़ते हुए लाइव समूह संचार का प्रदर्शन किया, जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पहली बार सभी ज़िलों के बीच वास्तविक समय (रियल–टाइम) दो–तरफा वॉइस कनेक्टिविटी को दर्शाता है। उन्होंने आपदा तैयारी को मजबूत करने में ऐसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला और नारकोंडम, तरेसा तथा चावरा जैसे दूरस्थ द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ज़ोर दिया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्रीमती पूर्वा गर्ग (आईएएस), उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान ने कहा कि यह प्रणाली आपात स्थितियों के दौरान ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संचार क्षमता को काफी बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन उपग्रह प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी सुदृढ़ और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

त्वरित अतिक्रमण हटाओ अभियान : श्री विजय पुरम में अतिक्रमित भूमि को कराया गया मुक्त

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और सामुदायिक स्थानों के विधिसम्मत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने सरकारी भूमि की निगरानी को और सख़्त करते हुए पूरे ज़िले में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज़ कर दी है। आज गाराचरामा गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां राजस्व अधिकारियों ने एक खुदाई मशीन (एक्सकेवेटर) की सहायता से आटम पहाड़ गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया। इस दौरान तीन बाड़बंदी और दो अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। लगभग 1,000 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को ज़िला राजस्व अधिकारियों द्वारा उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया।

इसके अलावा, साउथ प्वाइंट गांव में भी अवैध कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां होटल सिंक्लेयर बे व्यू के पास लगी अवैध टिन की बाड़ को हटाया गया। इस अभियान के दौरान लगभग 600 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को सफलतापूर्वक मुक्त कराया गया। दक्षिण अण्डमान ज़िले के उपायुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति में निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से दूर रहें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने अतिक्रमण या अवैध निर्माण की सूचना देने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं।

नागरिक ज़िला नियंत्रण कक्ष के नंबर 03192–240127/238881/1070 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर जानकारी साझा कर सकते हैं। सभी सूचनाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा, जिससे सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान सुरक्षित रहेगी। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जो ज़िला प्रशासन के इस संकल्प को दर्शाता है कि सरकारी भूमि की रक्षा की जाए और उसका उपयोग समुदाय के हित में सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2024–चयनित श्रेणियों के लिए पोर्टल पुनः खोला गया

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार ने पात्र उद्यमों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2024 के लिए पोर्टल को पुनः खोल दिया है।

आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल **https://dashboard.msme.gov.in/na** के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं:

- विनिर्माण उद्यमिता के लिए पुरस्कार–तकनीकी रूप से दक्ष विनिर्माण इकाइयाँ
- सेवा उद्यमिता के लिए पुरस्कार–मध्यम उद्यम (समग्र)
- निर्यात उन्मुख सेवा उद्यमों के लिए पुरस्कार
- महिला उद्यमिता के लिए पुरस्कार–सूक्ष्म उद्यम (सेवा क्षेत्र)
- महिला उद्यमिता के लिए पुरस्कार–लघु उद्यम (सेवा क्षेत्र)
- अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–लघु उद्यम (विनिर्माण)
- अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–सूक्ष्म उद्यम (सेवा क्षेत्र)
- अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–लघु उद्यम (सेवा क्षेत्र)
- दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–विनिर्माण उद्यम
- दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–सेवा उद्यम
- उत्तर–पूर्वी राज्यों (एनईआर) के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–सूक्ष्म उद्यम (विनिर्माण)
- उत्तर–पूर्वी राज्यों (एनईआर) के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–लघु उद्यम (विनिर्माण)
- उत्तर–पूर्वी राज्यों (एनईआर) के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–सूक्ष्म उद्यम (सेवा क्षेत्र)
- उत्तर–पूर्वी राज्यों (एनईआर) के उद्यमियों के लिए पुरस्कार–लघु उद्यम (सेवा क्षेत्र)

शाखा एमएसएमई, डीएफओ, श्री विजय पुरम से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पोर्टल 21 मार्च, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक खुला रहेगा। सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को निर्धारित अवधि के भीतर **https://dashboard.msme.gov.in/na** पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

अंबेडकर मेला–2026 का भव्य समापन

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

दक्षिण अण्डमान के ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी और यूथ क्लब ओग्राब्राज द्वारा आयोजित अंबेडकर मेला–2026 का समापन फ्लडलाइट ग्राउंड, ओग्राब्राज में भव्य और रंगारंग समारोह के साथ हुआ, जिसमें दक्षिण अण्डमान क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. अपूर्वा शर्मा, निदेशक, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय, अण्डमान

शेष पृष्ठ 4 पर

सर्किट कोर्ट 13 अप्रैल से

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और माननीय न्यायमूर्ति स्मिता दास दे 13 अप्रैल से 28 अप्रैल (दोनों दिन सहित) तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के रेजिस्ट्रार द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

माननीय सांसद द्वारा सब रेजिस्ट्रार सिस्टम के युक्तिकरण की मांग

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने माननीय उप राज्यपाल को पत्र लिखकर द्वीपसमूह में वर्तमान सब रेजिस्ट्रार सिस्टम के युक्तिकरण की मांग की है, ताकि पंजीकरण सेवाएं अधिक सुलभ, विकेंद्रीकृत और नागरिकों के अनुकूल बन सकें। सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अपने प्रस्ताव के समर्थन में श्री बिष्णु पद राय ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है, जहां पंजीकरण सेवाएं अधिक विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जाती हैं।

माननीय सांसद ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात

नई दिल्ली, 7 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सांसद ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समग्र विकास से संबंधित मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सरकार के समक्ष शीघ्र कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया। प्रमुख मुद्दों में डोमिसाइल कानून का कार्यान्वयन, डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत बजट में वृद्धि आदि शामिल थे। सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार

सांसद के अनुसार, मांग पत्र का अवलोकन करने के बाद श्री नितिन नबीन ने संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर इन मुद्दों पर शीघ्र विचार और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

टैगोर कॉलेज में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सहयोग से तथा 'प्रयास' जेएसी और समाज कल्याण निदेशालय के मिशन शक्ति के अंतर्गत आज यहां के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई) के सभागार में विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समाज कल्याण निदेशालय के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राशिद आलम, रजिस्ट्रार, कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर एवं सदस्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, श्री नेयाज़ आलम, अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर एवं प्रभारी अध्यक्ष, ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, श्री दिप्तेंद्र नाथ मित्रा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर तथा श्री जयंत मुखर्जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रीमती मारिया शीला, क्षेत्रीय प्रमुख, 'प्रयास' जेएसी तथा श्री के. विजय कुमार, सलाहकार, 'प्रयास' जेसी के साथ–साथ जिला विधि सेवा प्राधिकरण और 'प्रयास' जेएसी के कर्मचारी भी उपस्थित थे। सत्र के दौरान श्री राशिद आलम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए समाज के कमज़ोर वर्गों को विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री नेयाज़ आलम ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बालिकाओं की सुरक्षा और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी। श्री दिप्तेंद्र नाथ मित्रा ने पॉक्सो अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझाया।

'डीब्राइट' में आईडीई बूटकैंप 2026 के दूसरे दिन प्रतिभागियों को स्टार्टअप इकोसिस्टम से अवगत कराया गया

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

यहां के डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में आयोजित आईडीई बूटकैंप 2026 के दूसरे दिन का विषय "उद्यमिता परिदृश्य और आइडिएशन" रहा, जिसमें प्रतिभागियों को स्टार्टअप विकास और नवाचार प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सत्रों में प्रतिभागियों को स्टार्टअप इकोसिस्टम से परिचित कराया गया, जिसमें बाज़ार की मांग, प्रतिस्पर्धा, उभरते रुझान और अवसरों की पहचान पर विशेष ज़ोर दिया गया। साथ ही बी2बी,बी2सी और बी2जी जैसे प्रमुख व्यापार मॉडलों का परिचय दिया गया, जिनकी विशेषताओं को लक्षित ग्राहकों, बिक्री चक्र और संचालन के दृष्टिकोण से समझाया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिभागियों को ग्राहक वर्गीकरण के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें मुख्य और विस्तारित उपभोक्ताओं की पहचान के साथ–साथ खरीदार और उपयोगकर्ता के बीच अंतर समझाया गया। दिन का मुख्य आकर्षण स्कैम्पर तकनीक का उपयोग रहा, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से विकसित और परिष्कृत करना सीखा।

बाराटांग में फायर मित्रों को दिया गया पुनः प्रशिक्षण

मायाबंदर, 7 अप्रैल

मध्य अण्डमान के बाराटांग के अग्निशमन कर्मियों द्वारा 7 अप्रैल, 2026 को फायर स्टेशन, बाराटांग से जुड़े फायर मित्रों के लिए अग्निशमन पुनः प्रशिक्षण (रिफ्रेशर ट्रेनिंग) आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल और ज्ञान को पुनः सुदृढ़ करना तथा आग और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाना था। फायर मित्रों को व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से अद्यतन अग्निशमन तकनीकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रतिक्रिया तंत्र की जानकारी दी गई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आग सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करते हैं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वे आपात स्थितियों में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की प्रभावी सहायता कर सकें।

रामनगर तट पर चला स्वच्छता अभियान

डिगलीपुर, 7 अप्रैल

तटीय पर्यावरण संरक्षण और 'स्वच्छ भारत' मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत 4 अप्रैल को सामुदायिक विकास खंड, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर के सहयोग से रामनगर तट पर व्यापक स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे और समुद्री अपशिष्ट के जमाव को हटाना था, ताकि यह तट स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक स्वच्छ एवं टिकाऊ स्थल बना रहे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान में स्थानीय निवासियों, युवा स्वयंसेवकों और ग्राम पंचायत रामनगर के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयंसेवकों ने मुख्य रूप से एकल–उपयोग प्लास्टिक, कांच की बोतलें और अन्य गैर–बायोडिग्रेडेबल सामग्री को एकत्र किया, जो समुद्र के किनारे जमा हो गई थी। स्वच्छता के साथ–साथ जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें आगंतुकों और दुकानदारों को "जीरो वेस्ट" तट और स्रोत स्तर पर कचरे के उचित पृथक्करण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

डिगलीपुर में मना विश्व ऑटिज़्म दिवस

डिगलीपुर, 7 अप्रैल

विश्व ऑटिज़्म दिवस, जो वैश्विक स्तर पर 2 अप्रैल को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, एसवी मंदिर में खंड परियोजना कार्यालय, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य "जागरूकता से स्वीकृति तकः हर मस्तिष्क को अपनाना" थीम को बढ़ावा देना और छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा समुदाय के बीच ऑटिज़्म के प्रति समझ को बढ़ाना था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों, एसएमसी/एसएमडीसी सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों सहित कुल 25 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सत्र में ऑटिज़्म के प्रति जागरूकता, प्रारंभिक पहचान तथा समावेशी शिक्षा के महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस आयोजन ने खंड परियोजना कार्यालय, डिगलीपुर की समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करने और एक संवेदनशील एवं समावेशी समाज के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार और सम्मान दिया जाता है।

होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर से आईआरबीएन कर्मी लाभान्वित

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंध ने एएनएसएएस (एनएएम) के सहयोग से हाल ही में दक्षिण अण्डमान के पोर्ट मोट स्थित आईआरबीएन परिसर में होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर डॉ. सुप्रिया अरंगी, चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), आयुष अस्पताल तथा डॉ. स्मिता नारायण, चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छोलदारी ने विश्व होम्योपैथी दिवस के महत्व और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर से आईआरबीएन के कुल 69 अधिकारियों और जवानों ने लाभ प्राप्त किया।

अंबेडकर मेला में लगी बछड़ा प्रदर्शनी

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

किसानों को उन्नत पशु नस्लों और वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा 5 अप्रैल को अंबेडकर मेला, फ्लडलाइट ग्राउंड, ओग्राब्राज, दक्षिण अण्डमान में बछड़ा प्रदर्शनी (कैल्फ शो) का आयोजन किया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रदर्शनी में नौ उत्साही किसानों ने भाग लिया और अपने बछड़ों का प्रदर्शन करते हुए उचित पशु देखभाल, नियमित कृमिनाशन तथा उत्तम नस्लों के चयन के लाभों को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का सफल समन्वय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा औषधालय, पोर्ट मोट द्वारा किया गया और इसे किसान समुदाय से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

अंबेडकर मेला–2026 का भव्य पृष्ठ 1 का शेष

तथा निकोबार प्रशासन ने भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी और यूथ क्लब ओग्राब्राज के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस विशाल और सार्थक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को जागरूकता, एकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया। मुख्य अतिथि ने मेले में लगाए गए सभी स्टॉलों का अवलोकन किया, प्रतिभागियों से संवाद किया और विभिन्न विभागों तथा स्थानीय सहयोगकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री मोहम्मद शफीक़, प्रधान, ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी ने इस सामुदायिक महा आयोजन के पीछे की सोच और प्रयासों पर प्रकाश डाला। मेले की रौनक बढ़ाने के लिए 4 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से "हेल्दी बेबी शो" का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 शिशुओं ने भाग लिया, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में से एक विभागीय स्टॉलों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह रहा, जिसमें नवाचार और जनसंपर्क को सम्मानित किया गया। मेले में प्रथम स्थान पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, द्वितीय स्थान कृषि विभाग, तृतीय स्थान स्वास्थ्य विभाग तथा चतुर्थ स्थान अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजीवीएस) ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन श्री पी.ए. शरफुद्दीन, ज़िला परिषद सदस्य, मीठाखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : 75 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

आगामी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंध द्वारा 75 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो पूरे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जनभागीदारी के साथ मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2026 को मनाया जाएगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना और समुदाय में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विभिन्न योग अभ्यासों में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण बना। योग महोत्सव के अंतर्गत श्री विजय पुरम के फ्लैग पॉइंट पर आयुष अस्पताल द्वारा योग सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में कॉलेज छात्रों और आम जनता सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह सत्र आयुष अस्पताल के योग प्रशिक्षक श्री मंगल भगत के निर्देशन में संपन्न हुआ।

राष्ट्रीय अंडर–17 शतरंज चैंपियनशिप में कस्तूरी बाई का शानदार प्रदर्शन

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

वूमन कैंडिडेट मास्टर (डब्ल्यूसीएम) आर. कस्तूरी बाई ने अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय अंडर–17 शतरंज चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। देशभर के 100 से अधिक खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए कस्तूरी बाई ने 11 राउंड में 7.5 अंक हासिल कर 9वां स्थान प्राप्त किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 14,000 रुपये की नकद राशि और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने 2000 फिडे रेटिंग अंक का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पार किया, जो उनके शतरंज कॅरियर में एक बड़ी उपलब्धि है। अण्डमान तथा निकोबार शतरंज एसोसिएशन ने उन्हें द्वीपसमूह का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएँ दीं।

आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी बरामद, जांच जारी

मायाबंदर, 7 अप्रैल

कल एएफईवीएस की गश्ती टीम ने काला पत्थर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली कटी हुई लकड़ी (0.494 घन मीटर) का पता लगाकर उसे ज़ब्त किया। यह लकड़ी आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर लावारिस अवस्था में पाई गई और ज़ब्ती के समय कोई भी आरोपी मौके पर नहीं मिला। ज़ब्त की गई सामग्री को सुरक्षित कर लिया गया है तथा संबंधित वन कानूनों एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि लकड़ी को आगे परिवहन के उद्देश्य से छिपाकर रखा गया था। आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, हालांकि कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। लकड़ी के स्रोत और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

कार निकोबार में रग्बी स्कूल कॉन्टैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत

कार निकोबार, 7 अप्रैल

इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन (रग्बी इंडिया) द्वारा रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ अण्डमान एंड निकोबार (आरएफएएएन), निकोबार ज़िला शिक्षा कार्यालय तथा ज़िला प्रशासन, कार निकोबार के सहयोग से कार निकोबार में रग्बी स्कूल कॉन्टैक्ट कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। इस पहल की शुरुआत आज कार निकोबार के माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए रग्बी अभिमुखीकरण कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें बिग लपाती, चकचुचा, मलाका, परका, किनमई, सवाई और तपोइमिंग गांव परिषदों के सात खेल सचिवों ने भाग लिया।

रग्बी ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को रग्बी के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराया गया, जिसमें विशेष रूप से टच रग्बी पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही शिक्षकों और सामुदायिक नेताओं को स्कूलों और गांवों में इस खेल के विकास को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। अभिमुखीकरण के बाद, रग्बी इंडिया और आरएफएएएन के कोच एवं अधिकारी कार निकोबार के चयनित विद्यालयों में दो दिवसीय ज़मीनी स्तर (ग्रासरूट) रग्बी विकास कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस रग्बी एक्टिवेशन कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को इस खेल से परिचित कराना, उनकी बुनियादी रग्बी कौशल विकसित करना और लड़कों एवं लड़कियों दोनों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यालयों में ककाना स्कूल, मलाका स्कूल, तमालू स्कूल, तपोइमिंग स्कूल, पीएम श्री मूस स्कूल, लपाती स्कूल, सवाई स्कूल और एरोंग स्कूल शामिल हैं। कार्यक्रम का समापन 10 अप्रैल को साई ग्राउंड, लपाती में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाली पहली कार निकोबार अंतर–विद्यालय टच रग्बी चैंपियनशिप–2026 के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में सभी आठ विद्यालयों की लड़कों और लड़कियों की टीमें भाग लेंगी, जो निकोबार में आयोजित होने वाली पहली अंतर–विद्यालय रग्बी चैंपियनशिप होगी। इस आयोजन में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के कुल 160 छात्रों के भाग लेने की संभावना है।

अण्डमान निकोबार शतरंज महासंग्राम 2.0 पुनर्निर्धारित

श्री विजय पुरम, 7 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार शतरंज महासंग्राम 2.0 को प्रशासनिक कारणों से पुनर्निर्धारित करते हुए अब 25 और 26 अप्रैल, 2026 को यहां के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस टूर्नामेंट का आयोजन शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा कार्य विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अण्डमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन (एएनसीए) के सहयोग से किया जा रहा है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 9434293379, 9474203878 पर संपर्क किया जा सकता है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम दिनांक 6 अप्रैल, 2026

सं– 70/2026/फाइल सं. 2–116/2026– राजस्व.– जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8(ii) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 12.03.2026 की पत्र सं. 9/3/2026-CD (Cen.)1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की आम जनता से जनगणना के दौरान उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सटीक और स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग करने की अपील करते हैं, और ऐसा न करने पर वे जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत निर्धारित दंडों से दंडनीय होगा :

i जनगणना, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात ; ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों/वार्डों तक आवास की स्थिति, सुख–सुविधाओं और संपत्तियों, जनसांख्यिकी, साक्षरता, धर्म, आर्थिक गतिविधियों, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि से संबंधित डेटा का प्राथमिक स्रोत है। इसका उपयोग केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा आयोजन एवं नीति–निर्माण तथा प्रभावी लोक प्रशासन में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अलावा, जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय, विधानसभा, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण हेतु किया जाता है। अतः आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें। जनगणना अधिनियम, 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को आम जनता की सूचना के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

ii धारा 8 :– प्रश्न पूछना और उत्तर देने का दायित्व :

1. एक जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, की सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों, जिन्हें शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के द्वारा उसे पूछने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उप–धारा (1) के तहत कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वह ऐसे प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार देने के लिए विधिक रूप से बाध्य होगा :

परंतु यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर के किसी महिला सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और न ही किसी भी महिला को अपने पति, दिवंगत पति, या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसका नाम लेना उसकी प्रथाओं / रीति–रिवाजों के अनुसार वर्जित है।

iii धारा 9 :– अधिभोगी द्वारा प्रवेश करने और संख्याएँ अंकित करने/चिपकाने की अनुमति देना:

किसी भी मकान, अहाते, जलयान या अन्य स्थान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जनगणना अधिकारियों को उस स्थान पर प्रवेश/ पहुँचने की उतनी अनुमति देगा जितनी उन्हें जनगणना के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो और जो देश के रीति–रिवाजों / परंपराओं के अनुसार उचित हो, और साथ ही उन्हें उस स्थान पर ऐसे अक्षरों, निशानों या संख्याओं को लिखने या लगाने की अनुमति देगा, जो जनगणना के प्रयोजन हेतु आवश्यक हो।

iv धारा 10 :– अधिभोगी या प्रबंधक द्वारा अनुसूची को भरा जाना :

1. इस संबंध में जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जनगणना अधिकारी द्वारा उस स्थानीय क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, के भीतर स्थित किसी भी रिहायशी मकान पर या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास, एक प्रपत्र/अनुसूची (schedule) को उस मकान में रहने वाले लोगों द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के द्वारा उस अनुसूची को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को भरने के प्रयोजन लिए छोड़ सकता है या रखवा सकता है और उस प्रपत्र पर उस मकान या उसके किसी भाग में रहने वाले लोगों के ऐसे विवरणों को भरा जाएगा जैसा कि जनगणना आयुक्त के द्वारा जनगणना के दौरान निर्देशित किया जाएगा।

2. जब ऐसे प्रपत्र/अनुसूची को छोड़ा/रखवाया गया हो, तो उक्त अधिभोगी, प्रबंधक या अधिकारी या उस प्रबंधक या अधिकारी के द्वारा नियोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो,उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास से ऐसे मकान या उसके किसी हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में विवरणों को उल्लिखित समय पर प्रपत्र में भरेगा या भरवाएगा और ऐसे अपेक्षा करने पर वह उसमें अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करेगा और वह ऐसे भरे हुए एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र/अनुसूची को जनगणना अधिकारी को या जनगणना अधिकारी के द्वारा निर्देशित अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देगा।

v धारा 11 :– दंड/शास्तियाँ :

(1) (क) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या

(कक) कोई जनगणना अधिकारी या कोई व्यक्ति जिससे विधिपूर्वक जनगणना कराने में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई हो और जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के द्वारा उसको सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या आदेशों का पालन करने में समुचित तत्परता बरतने में लापरवाही करता है, या कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे आदेशों का पालन में बाधा पहुँचाता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, या;

(घ) कोई व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जानबूझकर गलत उत्तर देता है, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इनकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 के तहत विधिक रूप से बाध्य है, या

(ङ) कोई व्यक्ति, जो किसी मकान, अहाते, जहाज या अन्य स्थान पर रह रहा है और जनगणना अधिकारी को उस स्थान पर ऐसे उचित प्रवेश की अनुमति देने से इनकार करता है, जिसका धारा 9 के तहत अनुमति प्रदान करने हेतु उससे अपेक्षा की गई है, या

(च) कोई व्यक्ति, जो जनगणना के प्रयोजन के लिए लिखे गए या चिपकाए गए किसी अक्षर, चिह्न या संख्या को हटाता है, मिटाता है, बदलता है, या नुकसान पहुंचाता है, या

(छ) कोई व्यक्ति जिससे धारा 10 के अंतर्गत कोई प्रपत्र/अनुसूची को भरने की अपेक्षा की गई है और वह जानबूझकर एवं बिना पर्याप्त कारण के उस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, या उसके अंतर्गत कोई गलत विवरण देता है, या

(ज) कोई व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है; और भाग (क) के तहत दोष सिद्धि होने पर, उसे कारावास से भी दंडित किया जाएगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है।

(2) जो कोई उप–धारा (1) के तहत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हज़ार रुपये तक का हो सकता है।

vi धारा 15:– जनगणना का अभिलेख न तो निरीक्षण के लिए खुले होते हैं और न ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं :

किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में बनाई गई किसी भी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन दिए गए किसी भी प्रपत्र/अनुसूची का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसे पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख/रिकॉर्ड या प्रपत्र/अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को किसी दीवानी मामले की कार्यवाही में या किसी फौजदारी मामले की कार्यवाही में, सिवाय इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के तहत चलाए जा रहे किसी ऐसे अभियोजन, जो किसी ऐसे कृत्य या चूक के लिए हो, जिसे इस अधिनियम के तहत एक अपराध माना गया है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ह./–
(ए. येसु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

भारतीय स्टेट बैंक
श्री विजय पुरम शाखा
जिला – दक्षिण अण्डमान

नियम – 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जहाँ तक :

हस्ताक्षरकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पढ़े जाने वाले सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता/जमानतदारों को इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिसूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया गया था।

उधारकर्ता/जमानतदारों द्वारा राशि का भुगतान न करने के कारण, यह सूचना उधारकर्ता/जमानतदारों तथा आम जनता को दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 9 के अनुसार, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/जमानतदारों तथा आम जनता को सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें। इस संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में देय राशि, ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत एवं अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

क्र. सं.	a) उधारकर्ता का नाम b) जमानतदार c) मांग नोटिस की तिथि d) बकाया राशि (रु.)	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जा लेने की तिथि
1	a) सुश्री पूनम कुमारी – सह–उधारकर्ता एवं स्वर्गीय शिव नाथ बराइक की कानूनी उत्तराधिकारी b) शून्य c) 02.02.2026 d) रु. 44,01,181/–	सर्वे नंबर 11/96 पर स्थित भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल 200.00 वर्ग मीटर, जंगलीघाट गांव, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला। संपत्ति स्वर्गीय शिव नाथ बराइक (पुत्र स्वर्गीय बिपत राम) के नाम पर दर्ज है। **सीमाएं** : उत्तर – सड़क एवं सर्वे नंबर 96/पी दक्षिण – सर्वे नंबर 96/पी पूर्व – सर्वे नंबर 96/पी पश्चिम – सड़क	04/04/2026

दिनांक : 06/04/2026
स्थान : श्री विजय पुरम

अधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 1 अप्रैल, 2026

सं. 69/2026/फा.सं. 34–725/2026–राजस्व. – **चूंकि**, 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 11(1) के तहत दक्षिण अण्डमान जिला के फरारगंज तहसील के होपटाउन गाँव में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) के लिए 'विद्यमान POL टर्मिनल को हैडो से होपटाउन गाँव में स्थानांतरण" हेतु 6.8244 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई, जो दिनांक 29.01.2025 को अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

और, चूंकि, भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) ने दिनांक 04.12.2025 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिग्रहण को वापस करने का अनुरोध किया है, क्योंकि होपटाउन में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL) को एक नया POL टर्मिनल बनाने के लिए आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि IPZ अधिसूचना, 2011 के अनुसार ICRZ IA, IB और CRZ III क्षेत्रों के अंतर्गत आती है; और जबकि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) के भंडारण एवं प्रबंधन/हैंडलिंग की सुविधाएं हेतु अवसंरचनाओं का निर्माण ICRZ III क्षेत्रों में अनुज्ञेय है बशर्ते इसके लिए CRZ अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो और ऐसे अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण ICRZ IA एवं IB क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है।

अब, इसलिए, 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 93(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 29.01.2025 के प्रारंभिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण को वापस करते हैं और उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करते हैं/गैर–अधिसूचित करते हैं।

मुक्त किए गए/गैर–अधिसूचित भूमि का विवरण

क्र. सं.	अभिधारी (टेनेंट) का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्गीकरण	सीमाएं			
					उ.	द.	पू.	प.
1.	गीता बाई, पत्नी स्वर्गीय सुख लाल	1/1/71 2/1/72	1.36 0.29	पहाड़ी	71/1/3	71/2 तथा 60	73/2, 72/1, 72/2/पी तथा 71/2	63, 64 तथा 65
				पहाड़ी	70/2 तथा 70/17	71/1/3	73/1	65, 66 तथा 67
2.	सुमित्रा देवी एवं 02 अन्य (स्वर्गीय जय चंद लाल की सुपुत्री तथा सुपुत्र)	2/71	0.01	पहाड़ी	71/1/1	60	72/2/पी	71/1/1
3.	टी. एन्टोनी एवं 01 अन्य	72/1	0.51	पहाड़ी	74/2	72/2/पी	74/2	71/1/1
		72/2/पी	1.00	वाणिज्यिक	72/1	61 तथा 62	74/2 तथा 78	71/1/1 तथा 71/2
		73/1	0.1375	पहाड़ी	70/17	73/3	70/17	71/1/2
		73/2	0.1365	पहाड़ी	73/3	71/1/1	74/2	71/1/1
		74/1	0.9713	पहाड़ी	ना	74/3	74/1/पी	70/17
		74/2	0.3621	पहाड़ी	74/3, 75/1	72/1 तथा 72/2/पी	74/2/पी	73/2
		75/1	0.0270	पहाड़ी	75/2	74/2	74/2	74/2
4.	भगवती देवी एवं 03 अन्य	70/2	1.9700	पहाड़ी	70/18	71/1/2	70/3 तथा 70/17	65 तथा 70/18
		70/3	0.05	हाउस साइट	70/2	70/2	70/17	70/2
		कुल	**6.8244**					

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 93(2) के तहत प्रावधानित अनुसार, कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), दक्षिण अण्डमान द्वारा पूर्व से चल रहे इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के कारण भूमि के मालिकों को हुई क्षति, यदि कोई हो, का विधि अनुसार निर्धारण कर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

एडमिरल डी. के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से एवं उनके नाम पर,
ह./–
(येशु राज)
सहायक सचिव (राजस्व)

प्रपत्र–।
(नियम 3 (1) (क) देखें)

विनियमन की धारा 7 (1) के अंतर्गत मसौदा मास्टर प्लान के प्रकाशन की सूचना

अधिसूचना

क्रमांक.....फा.सं. टीपी–22/सीई/2026/ अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्रामीण नियोजन विनियम, 1994 (संख्या 7 ऑफ 1994) की धारा 7 की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र के लिए मसौदा मास्टर प्लान एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा मास्टर प्लान की एक प्रति नगर योजनाकार के कार्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यालयों में सभी कार्य दिवसों के कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :–

1. सहायक आयुक्त कार्यालय, कैम्पबेल बे, ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह।
2. अनिडको लिमिटेड का कार्यालय, विकास भवन, श्री विजय पुरम।

ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह के लिए उक्त मसौदा मास्टर प्लान का विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है :

यदि किसी व्यक्ति, विभाग या किसी भी व्यक्ति को ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र के लिए मसौदा मास्टर प्लान के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति से पहले नगर योजनाकार, मुख्य अभियंता कार्यालय, अण्डमान लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजय पुरम को भेजा जाना चाहिए। आपत्तियां/सुझाव ईमेल द्वारा tcpdtcp@gmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं।

अनुसूची

1. मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र।
2. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र।
3. ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र के लिए मसौदा मास्टर प्लान की रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) मानचित्रों और चार्टों द्वारा समर्थित एक वर्णनात्मक रिपोर्ट, जिसमें मसौदा मास्टर प्लान के प्रावधानों की व्याख्या की गई हो।
ख) मसौदा मास्टर प्लान के कार्यान्वयन का चरणबद्ध विवरण।
ग) मसौदा मास्टर प्लान को लागू करने के प्रावधान और विकास, निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने का तरीका।
घ) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत और मसौदा मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में शामिल कार्यों की लागत।
ङ) मास्टर प्लान की विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकताएँ और मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेंसियों को सौंपी गई भूमिका।

नगर योजनाकार,
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
श्री विजय पुरम

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 'होलीस्टिक हीलिंग' अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली, 07 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंगलवार को हमदर्द लैबोरेटरीज ने देश में 'होलीस्टिक हीलिंग' अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य निवारक वेलनेस और समग्र देखभाल को बढ़ावा देना है, जिसमें शोध, शिक्षा और समुदाय सहभागिता को साथ लाया गया है। होलीस्टिक हीलिंग का विचार बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करने और शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस मौके पर हमदर्द लैबोरेटरीज के चेयरमैन अब्दुल मजीद ने बताया कि देश में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां और जीवनशैली से जुड़े रोग जैसे गैर–संक्रामक रोग एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गए हैं। ऐसे में, होलीस्टिक हीलिंग निवारण, जल्दी हस्तक्षेप और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

शपथ पत्र

मैं, प्रोबिन दास, पुत्र श्री भाबेश चंद्र दास, निवासी हाथी टापू, नमूनाघर गांव, फरारगंज तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–744206 एतद्द्वारा पूरी गंभीरता से यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि :

1. माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में, मेरे पिता का नाम अनजाने में 'BHABESH CHANDER DAS' दर्ज हो गया है, और जन्म प्रमाण पत्र में भी उनका नाम संक्षिप्त रूप में 'BHABESH CH. DAS' दर्ज है, जबकि मेरे पास उपलब्ध मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में उनका सही नाम 'BHABESH CHANDRA DAS' दर्ज है।
2. नाम 'BHABESH CHANDER DAS', 'BHABESH CH. DAS' और 'BHABESH CHANDRA DAS' एक ही व्यक्ति के हैं, और ये नाम मेरे पिता के हैं।
3. मैं यह शपथ पत्र पासपोर्ट में अपने पिता का सही नाम 'BHABESH CHANDRA DAS' दर्ज करवाने के उद्देश्य से दे रहा हूँ।

उपर्युक्त सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य और सही है।

शपथकर्त्ता

कलपक्कम में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकैलिटी

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। कल रात सोशल मीडिया पर पोस्ट में, श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक निर्णायक कदम उठा रहा है, जो देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है।

रिएक्टर के तकनीकी महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन्नत रिएक्टर, जो खपत से अधिक ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है, देश की वैज्ञानिक क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इसे कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम भी बताया। साथ ही, श्री मोदी ने परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी।

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्णतः चालू होने पर, भारत रूस के बाद

व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा।

क्रिटिकैलिटी वह अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्व–संचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है, जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर, निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है।

पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार का आश्वासन देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार : सरकार

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर–मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य उतार–चढ़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में दालों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल दोनों का पर्याप्त बफर स्टॉक है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 602 लाख मीट्रिक टन खाद्य भंडार उपलब्ध है। सुश्री सी शिखा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता स्थिर है। उन्होंने बताया कि प्रमुख साझेदारों से खाद्य तेल का आयात स्थिर बना हुआ है।

सुश्री सी शिखा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमजोर आबादी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। वहीं खुला बाजार बिक्री योजना के जरिए बाजार में आपूर्ति से कीमतों में स्थिरता बनाए रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल तथा चीनी की आपूर्ति पर्याप्त है और समग्र मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। उन्होंने आगे कहा कि सुगम खरीद और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विविध स्रोतों तथा आकस्मिक उपायों के माध्यम से पर्याप्त पैकेजिंग सामग्री सुनिश्चित की जा रही है।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पिछले दो दिनों में एलपीजी ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले दो जहाज, ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में 433 भारतीय नाविकों को ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले 16 जहाज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन लगभग पचास लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि ओटीपी के माध्यम से डिलीवरी प्रमाणीकरण को व्यापक रूप से लागू किया गया है और अब इससे लगभग 90 प्रतिशत डिलीवरी की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से एक हजार सात सौ 77 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इनमें आठ सौ 95 विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कल कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। श्री जायसवाल ने बताया कि डॉ. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की है।

असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार थमा, 9 अप्रैल को मतदान

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम समाप्त हो गया। इन तीनों जगहों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अंतिम समय तक जोरदार प्रचार किया।

असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 18–19 वर्ष आयु वर्ग के 5.75 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे। 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है।

केरल में 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है।

ई–निविदा सूचना

F.No. E 142991 M-13/14/2026/12 दिनांक 02.04.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारो से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं भले हो उनकी सूची इस शर्त पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस् मैनुअल के रूप में और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठन के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी. सं. अनिडको/सी.डब्ल्यू./26–27/टी.डी.–01

कार्य का नाम : अनिडको के तहत 2026–27 के दौरान डॉलफिन रिसॉर्ट, स्वराज द्वीप में गैर–आवासीय भवनों की वार्षिक मरम्मत और रख–रखाव (कंक्रीट कार्य, क्लैडिंग कार्य, लकड़ी के काम, फर्श, छत, परिष्करण, भवन की मरम्मत, निराकरण और विध्वंस, स्वच्छता स्थापना और जलापूर्ति कार्य)।

अनुमानित लागत : रु. 44,30,200/–

निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं

बयाना राशि : रु. 88,604/–

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 12 महीने

निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 06/04/2026

निविदा दस्तावेज डाउनलोड/शुरू होने की तिथि : 07/04/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 20/04/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 27/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे

निविदा खोलने की तिथि: 28/04/2026 के पूर्वाहन 11.00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते है।

निविदा आईडी : 2026_ANCVL_22603_1 महाप्रबंधक (निर्माण कार्य), अनिडको

आईईवीपी के तहत पहले चरण में 23 देशों के 43 प्रतिनिधि देखेंगे चुनाव प्रक्रिया

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

चुनाव आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों के लिए अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी), 2026 का मंगलवार को शुभारंभ किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर आज भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ज्ञानेश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि चुनाव आयोग भारत में चुनावों को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम करता है। उन्होंने प्रतिभागियों से राज्यों के दौरे का आनंद लेने, सीखने, देखने और भारत की विविधता का अनुभव करने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम के पहले चरण में प्रतिनिधि 8–9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। दूसरे चरण में प्रतिनिधि 20 अप्रैल से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली स्थित पांच विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के 43 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

प्रतिनिधि 8 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश की यात्रा करेंगे। वे वितरण केंद्रों और जिला नियंत्रण

कक्षों तथा मीडिया निगरानी केंद्रों सहित अन्य सुविधाओं का दौरा करेंगे। वे 9 अप्रैल की सुबह वास्तविक मतदान भी देखेंगे।

प्रतिनिधियों को आज आईआईआईडीईएम में ईवीएम का प्रदर्शन दिखाया गया और उन्होंने मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करके मॉक पोल में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने भारत में चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों में गहरी रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र किया और अपने संदेह/प्रश्नों को स्पष्ट किया।

जेडएसआई के शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि, तमिलनाडु तट पर समुद्री जीवों की दो नई प्रजातियों की खोज

कोलकाता, 07 अप्रैल।

भारत की समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु तट के पास समुद्री नेमाटोड (सूक्ष्म कृमि) की दो नई प्रजातियों की खोज की है। यह शोध 25 मार्च, 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्गिकी शोध पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित हुआ है।

यह अध्ययन जेडएसआई की शोधकर्ता ऋतिका दत्ता और अंजुम रिजवी द्वारा किया गया है। उन्होंने कोरोनोनेमा धृति और एपाकैंथियन इंडिका नामक दो नई प्रजातियों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है। ये सूक्ष्म जीव आकार में बेहद छोटे होते हुए भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जेडएसआई की ओर से सोमवार शाम जारी बयान में बताया गया है कि कोरोनोनेमा धृति वैश्विक स्तर पर इस वंश की केवल चौथी ज्ञात प्रजाति है। इससे पहले इस वंश की प्रजातियां केवल ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और वियतनाम में दर्ज की गई थीं। भारतीय समुद्री क्षेत्र में इसकी उपस्थिति समुद्री जीव भूगोल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस प्रजाति का नाम जेडएसआई की निदेशक डॉ. धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने भारत की जीव विविधता के दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

दूसरी प्रजाति एपाकैंथियन इंडिका का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इसकी शारीरिक संरचना विशेष रूप से जटिल है। सामान्यतः कई नेमाटोड सूक्ष्म जीवों पर निर्भर होते हैं, लेकिन यह प्रजाति विशेष जबड़ों और दांत जैसी संरचना के कारण समुद्री तल की खाद्य श्रृंखला में एक सूक्ष्म शिकारी की भूमिका निभाती है।

जेडएसआई की निदेशक डॉ. धृति बनर्जी ने इस उपलब्धि पर कहा कि समुद्र के भीतर की जैव विविधता का बड़ा हिस्सा अभी भी अनजान है। इन सूक्ष्म जीवों को समझना समुद्री संरक्षण की प्रभावी नीतियां बनाने और तटीय पारिस्थितिकी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच समाचार चैनलों की टीआरपी पर रोक को चार सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

केंद्र सरकार ने टीवी समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को और चार सप्ताह के लिए रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम संकट के समय फैलने वाली अटकलों और सनसनीखेज खबरों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल(बीएआरसी) को यह निर्देश इजराइल–ईरान संघर्ष के दौरान गलत और काल्पनिक खबरों के प्रसारण के बाद दिया है, ताकि जनता में दहशत न फैले।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुछ समाचार चैनल अनावश्यक रूप से सनसनीखेज तरीके से युद्ध की स्थिति को प्रसारित कर रहे हैं। इस तरह की सामग्री से आम जनता में भ्रम और भय का माहौल बन सकता है। विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के परिजनों में चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ने की आशंका रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चार सप्ताह के लिए टीवी समाचार चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। इस दौरान चैनलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने 6 मार्च को समाचार चैनल के लिए टीआरपी को चार हफ्ते के लिए बंद रखने के आदेश दिए थे।

इतिहास के पन्नों में 08 अप्रैल : मंगल पांडे के बलिदान और क्रांतिकारियों के साहस से जुड़ा ऐतिहासिक दिन

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

भारतीय इतिहास में 08 अप्रैल की तारीख स्वतंत्रता संग्राम के साहस और बलिदान की याद दिलाती है। इस दिन 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडेय को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी।

मंगल पांडे ने 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने उन कारतूसों का विरोध किया था, जिनमें जानवरों की चर्बी होने की बात कही जाती थी। इस मुद्दे ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और विद्रोह की चिंगारी भड़की।

ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में उन्हें 18 अप्रैल को फांसी देने का फैसला किया था, लेकिन संभावित विरोध को देखते हुए तय समय से पहले ही 8 अप्रैल 1857 की सुबह उन्हें सैनिकों के सामने फांसी दे दी गई। उनके इस बलिदान ने पूरे देश में आजादी की भावना को और प्रबल कर दिया।

इसी दिन एक और ऐतिहासिक घटना 1929 में हुई, जब क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि उनका उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देना और देशवासियों में आजादी की चेतना जगाना था।

इतिहासकारों के अनुसार, 08 अप्रैल की ये दोनों घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच चुका है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1857 – भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडेय को फाँसी दी गयी।

1929 – भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, दिल्ली सेंट्रल असेम्बली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया गया।

1950 – भारत और पाकिस्तान के बीच लियाकत–नेहरू समझौता। यह समझौता दोनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और भविष्य में दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से किया गया था।

1973 – स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो का निधन। इन्हें 20वीं शताब्दी का संभवतः सबसे प्रभावी चित्रकार माना जाता है।

1988 – जनरल वेंग शांग कुन चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित।

1999 – ड्रोर ओरपाज तथा कारमिट सुबेरा (इस्रायल) द्वारा 30 घंटे 45 मिनट तक लगातार चुंबन लिये जाने का गिनीज बुक आफ़ वर्ल्ड रिकार्ड में नया कीर्तिमान दर्ज, चीन द्वारा धान की भूसी से बिजली का उत्पादन प्रारम्भ।

2000 – गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का 13वां सम्मेलन कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में प्रारम्भ।

2001 – भारत–इंग्लैंड राउण्ड टेबल बैठक सरिस्का में सम्पन्न, बांग्लादेश में हिन्दुओं की सम्पत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित।

2002 – अमेरिकी अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित।

2003 – अमेरिकी सेना ने बगदाद में बंकर भेदी बम बरसाए, जिसमें कई नागरिक हुए, लेकिन सद्दाम का अता–पता नहीं।

2005 – वेटिकन सिटी में मरहूम पोप को अंतिम विदाई दी गई।

2008 – आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक की सरकारों ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने यहाँ सिक्खों को अल्पसंख्यक घोषित किया।

गर्मियों में अमृत से कम नहीं सहजन का सेवन, पाचन सुधारने से इम्युनिटी बढ़ाने तक का प्राकृतिक तरीका

नई दिल्ली, 07 अप्रैल।

गर्मी के मौसम में पाचन संबंधी समस्याएं, थकान, कमजोरी और वजन बढ़ने की शिकायत आम हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार, सहजन (मोरिंगा) का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। सहजन को 'चमत्कारी वरदान' भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते, फल और फूल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।

नेशनल हेल्थ मिशन बताता है कि सहजन में विटामिन ए, बी, सी, कैरोटीन, आयरन, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मियों में यह शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

गर्मियों में सहजन के सेवन से एक–दो नहीं कई लाभ मिलते हैं। सहजन में मौजूद फाइबर पेट साफ रखता है, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है, भारी खाने से जो पाचन बिगड़ता है, सहजन उसे ठीक करने में मदद करता है। यह वजन नियंत्रण में भी सहायक है। सहजन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है और शरीर में अतिरिक्त चर्बी नहीं जमा होती। फाइबर से भरा होने के कारण यह भूख को नियंत्रित रखता है और बार–बार खाने की आदत पर लगाम लगाता है।

गर्मी में शरीर में पानी और हानिकारक पदार्थ जमा हो जाते हैं। सहजन प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करता है,

सूजन कम करता है और शरीर को हल्का–फुल्का बनाता है। साथ ही, सहजन रक्त में शुगर का स्तर स्थिर रखने में मदद करता है। जो लोग वजन घटाने के साथ डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है। गर्मी में थकान महसूस होना आम है।

सहजन में कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर में एनर्जी बनाए रखता है और कमजोरी दूर करने में भी मददगार है। गर्मियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं। सहजन एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गर्मियों में सहजन की सब्जी, पत्तों का साग, सूप या जूस बनाकर रोजाना सेवन कर सकते हैं। पत्तों को सुखाकर पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर भी लिया जा सकता है।